न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
48 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	23.06.2020	14.12.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1—श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री रामलाल जैन निवासी विकास विहार कॉलोनी कोटा रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री महावीर ट्रेडिंग एजेन्सी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक
2—मैसर्स श्री महावीर ट्रेडिंग एजेन्सी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक
3—श्री किशोर कुमार पुत्र श्री दयाराम निवासी ए—43, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, पाली, सुमेरपुर प्रोपरायटर मैसर्स किशोर कन्हैया कॉर्पोरेशन सीएचए—9, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर
4—मैसर्स किशोर कन्हैया कॉर्पोरेशन सीएचए—9, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर
5—श्री हरीश नायर नॉमिनी मैसर्स लुईस ड्रेफूस कम्पनी इण्डिया प्रा. लि. रोड नं. 9—सी, वीकेआई जयपुर खसरा नं. 310 / 2 बी, भीमासर रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम भीमासर, तालुका अंजर, जिला कच्छ गुजरात
6—मैसर्स लुईस ड्रेफूस कम्पनी इण्डिया प्रा. लि. रोड नं. 9—सी, वीकेआई जयपुर खसरा नं. 310 / 2 बी, भीमासर रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम भीमासर, तालुका अंजर, जिला कच्छ गुजरात

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री शंकर चौधरी।

:—<u>निर्णय</u>—: **दिनांक 14.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2019 को समय 05:00 पी.एम. पर मैसर्स श्री महावीर ट्रेडिंग एजेन्सी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक पर पहुँचा। वहॉ पर श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री रामलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रदीप कुमार जैन ने स्वंय को मैसर्स श्री महावीर ट्रेडिंग एजेन्सी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के 5 कार्टून में लगभग 60 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1—1 लीटर पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्राण्ड)** रखा हुआ थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री प्रदीप कुमार जैन को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री प्रदीप कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एस.पी.एस.बी.बी. 310 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2019 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1–1 लीटर पैक के 4 मूल पैक खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1–1 लीटर पैक के 4 मूल पैक **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्राण्ड)** को ज्यों का त्यों एक–एक नग के बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2335 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2335 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री रामलाल जैन मैसर्स श्री महावीर ट्रेडिंग एजेन्सी नजर बाग रोड बडा कुंआ टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स किशोर कन्हैया कॉर्पोरेशन सीएचए–9, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स किशोर कन्हैया कॉर्पोरेशन सीएचए–9, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर के व्यवहारी ने मैसर्स लुईस ड्रेफूस कम्पनी इण्डिया प्रा. लि. रोड नं. 9–सी, वीकेआई जयपुर खसरा नं. 310/2 बी, भीमासर रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम भीमासर, तालुका अंजर, जिला कच्छ गुजरात का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/2325 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/2391/एक्ट/2019/1928 दिनांक 01.11.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री प्रदीप कुमार जैन पूर्व में न्यायालय हाजा में उपस्थित हो चुके हैं परन्तु आज अनुपस्थित हैं। अप्रार्थी सं. 3 ता 6 की ओर से उनके अभिभाषक श्री शंकर चौधरी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (विभोर ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री प्रदीप कुमार जैन पर पर शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 श्री किशोर कुमार पर शास्ति रूपये 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 श्री हरीश नायर पर शास्ति रूपये 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0